उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 28/2016/1215/92-2-16-66(जांच)/2015

लखनऊ:: दिनांक:: 29 जून, 2016

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

वर्ष 2013-14 में जनपद चित्रकूट के 22 चयनित ग्रामों में से 12 ग्रामों के कार्यो हेतु प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति में सीमेन्ट की दरों में अधिक दरें स्वीकृत करने के कारण परिलक्षित रू0 5,94,273.00 की शासकीय क्षति के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री नियाज अहमद, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप-पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच-आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

महेश कुमार गुप्ता

प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 28/2016/1215(1)/92-2-2016 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को आरोप पत्र की 02 प्रति सहित।

3- श्री नियाज अहमद, सहायक अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-चित्रकूट द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, (स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in